प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 24.12.2025

रेलवे विभाग में कूचरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर/अभियुक्त के खाते में जमा कुल करीब 05 लाख 26 हजार रूपये को जब्त किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष एम्स के नेतृत्व में, श्रीमान् जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में मु0अ0सं0 329/2025 धारा 2(ख) की उप धारा (I)(IV) /3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. गैंग लीडर राम सजीवन पुत्र स्व0 फून्नू राम निवासी- हाल मुकाम पता 391/ओ मॉंडल रेलवे कालोनी पूर्वोतर रेलवे थाना शाहपुर गोरखपुर स्थायी पता ग्राम अमोढा पोस्ट अमोढा डाकघर थाना ऊरूवा बाजार जनपद गोरखपुर व गैंग का सदस्य 2. चन्द्र शेखर आर्य पुत्र स्व0 रामधनी निवासी एल आईजी- डी- 39/ राप्ती नगर फेज फोर रेल बिहार रोड निकट राणा हास्पिटल शाहपुर गोरखपुर स्थाई पता- ग्राम बरहपार नसरतपुर पोस्ट मंगारी थाना सादात जनपद गाजीपुर के द्वारा अपराध से अर्जित कर विभिन्न खातों में जमा अवैध धन को जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेश के क्रम में जब्त किया गया। गैंग लीडर राम सजीवन के खाते से 02,04,200.28 रूपये व गैंग के सदस्य के खाते से 03,21,948.90 रूपये (कुल 5,26,149.18 रूपये) जब्त किये गये।

<u>अभियुक्त का नाम व पता -</u>

1. अभियुक्त गैंग लीडर राम सजीवन पुत्र स्व0 फून्नू राम निवासी- हाल मुकाम पता 391/ओ मॉंडल रेलवे कालोनी पूर्वोतर रेलवे थाना शाहपुर गोरखपुर स्थायी पता ग्राम अमोढा पोस्ट अमोढा डाकघर थाना ऊरूवा बाजार जनपद गोरखपुर
2. चन्द्र शेखर आर्य पुत्र स्व0 रामधनी निवासी एल0आई0जी0-डी-39/राप्ती नगर फेज फोर रेल बिहार रोड निकट राणा हास्पिटल शाहपुर गोरखपुर स्थाई पता ग्राम बरहपार नसरतपुर पोस्ट मंगारी थाना सादात जनपद गाजीपुर

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 737/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0329/2025 धारा 2(ख) की उप धारा (I)(IV) /3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

<u>जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-</u>

गैंग लीडर राम सजीवन के खाते में जमा 02,04,200.28 रूपये व गैंग के सदस्य चन्द्र शेखर आर्य के खाते में जमा 03,21,948.90 रूपये (कुल 5,26,149.18 रूपये)